मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालय: टैगोर छात्रावास श्यामला हिल्स, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फैक्स: 0755-2660461 **email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org**

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2023/ 113 दिनांक-14 .02.2023

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय- प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र् 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

***

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के विनियम की कंडिका 5 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित एवं किसी नियामक/निकाय यथा एन.एम.सी., डी.सी.आई., एम.पी.एन.आर.सी., सी.सी.आई.एम., सी.सी.एच., पी.सी.आई., ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई. एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लॉक अर्थात् **सत्र् 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26** के शुल्क विनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से **दिनांक 20.02.2023** से आवेदन पत्र आमंत्रित करती है।

संस्थायें प्रत्येक पाठ्यक्रम जिसकी शुल्क का विनियमन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है के लिये समिति की बेवसाईट www.afrcmp.org पर निर्धारित लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्मा भरेगीं। संस्थायें शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क की राशि यू.जी. पाठ्यक्रमों के लिए रू. 50,000/- एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों के लिये रू. 25,000/- ऑनलाईन माध्यम से समिति, सचिवालय के बैंक खाते में जमा करायेंगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था को प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रोसेसिंग शुल्क की राशि के अतिरिक्त पोर्टल/मेंटीनेंश शुल्क की राशि भी ऑनलाईन माध्यम से जमा कराया जाना है।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा संस्था से वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के सी.ए. द्वारा अंकेक्षित आय-व्यय पत्रक **(Audited Balance Sheet)** यूडिन आई.डी. क्रमांक सहित तथा पत्रक के साथ, संस्था के लिए निर्धारित प्रपत्रों को पूर्णतया भरकर आवश्यक सह पत्रों के साथ उपरोक्त दिनांक तक संस्थाओं को शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव वेबसाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अंकेक्षित आय-व्यय पत्रक संस्था के अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त होना आवश्यक है।

निर्धारित शपथ-पत्र समिति, सचिवालय के पोर्टल से डाउनलोड कर रूपये 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटराईज कराकर स्केन कॉपी को अपलोड करना आवश्यक है।